

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 105/2019

निर्णय दिनांक –07.06.2019

लक्ष्मी देवी पत्नी रामचन्द्र मेघवाल, आयु 47 साल, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।

// बनाम //

1. मु. कमला पत्नी हीरालाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
2. गोरीलाल पिता रूपा धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
3. रमेश पिता हीरालाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
4. शांतिलाल पिता हीरालाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
5. मोतीलाल पिता चंपालाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
6. राकेश पिता रामेश्वरलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
7. राजेश पिता रामेश्वरलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कनेरा।
8. सोहनलाल पिता काना मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।

— विपक्षीगण


प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भुवानिया खेड़ी पटवार हल्का बांगेडा घाटा की खाता संख्या 136 की आराजी नं. 356 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात वाके मौजा भुवानिया खेड़ी पटवार हल्का बांगेडा घाटा की खाता संख्या 136 की आराजी नं. 356 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 07.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

